4

पत्रांक–3/एल–1–15/2016

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

अनिल कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

डा0 राज कुमार मंडल,
चिकित्सा पदाधिकारी,
सदर अस्पताल, आरा ।

पटना, दिनांक :

विषयः **दिनांक 09.09.2019 से 07.10.2019 तक विदेश (चीन, आस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड) यात्रा की अनुमति प्रदान करने के संबंध में ।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपका आवेदन दिनांक **21.06.2019** के प्रसंग में निम्नांकित शर्तों के साथ **दिनांक 09.09.2019 से 07.10.2019 तक विदेश (चीन, आस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड)** यात्रा की अनुमति प्रदान की जाती हैः–

1) अवकाश अवधि का विस्तार अनुमान्य नहीं होगा ।
2) प्रवास के दौरान धनोपार्जन हेतु अपने पेशे का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा ।
3) यह यात्रा बिल्कुल निजी होगी तथा किसी भी तरह का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।
4) सभी तरह का व्यय स्वयं वहन करना होगा ।
5) प्रवास के दौरान किसी भी तरह का लेखे का भुगतान प्राप्त नहीं किया जायेगा।
6) **डा0 राज कुमार मंडल** यात्रा पर प्रस्थान करने के पूर्व **डा0 एस0 किरण, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, आरा** को उनकी अभिव्यक्त सहमति के आलोक में प्रभार सौंपा जायेगा एवं यात्रा से लौटकर उनसे प्रभार वापस ग्रहण किया जाएगा ।
7) **डा0 राज कुमार मंडल** मुख्यालय छोडने के पूर्व अपने नियंत्री पदाधिकारी/विभाग को **विदेश (चीन, आस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड)** प्रवास के दौरान सम्पर्क का पता एवं सम्पर्क नम्बर उपलब्ध करायेंगे ।
8) एतद्संबंधी अवकाश संचित उपार्जित अवकाश से सामांजित होगा ।
9) विदेश यात्रा से लौटने के बाद अपने पार–पत्र की छाया प्रति विभाग को उपलब्ध करायेंगे ।

विश्वासभाजन

ह0/–

(अनिल कुमार)

ज्ञापांक : 884(3) /स्वा0, पटना, दिनांक 30/7/19

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले0 एवं ह0), वीरचन्द पटेल पथ, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : **निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, आरा (भोजपुर)/सिविल सर्जन, भोजपुर/अधीक्षक, सदर अस्पताल, आरा**/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2,3 एवं 17 स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

30.7.2019

सरकार के संयुक्त सचिव

D:\Old_System_backup\Old System Data\New folder\2019\NOC Letter & Notification-Bording-17.1.2019.docx-9719-3:44pm